


**:: आदेश ::**

प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षणकेन्द्र स्तर पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों के समस्त प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश छोड़कर) सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं परीक्षण करने तथा बैंक में कार्यरत समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध संस्थित निलम्बन, अनुशासनिक कार्यवाही तथा अन्य शिकायती प्रकरण में जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट पर परीक्षण करने तथा निष्कर्ष हेतु निम्नवत् कमेटी का गठन किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती	पद	कमेटी का पद
1	शैल कुमारी	महाप्रबन्धक (स्थापना/विधि)	अध्यक्ष
2	अजय पाल सिंह	महाप्रबन्धक (तकनीकी)	सदस्य
3	आर०पी० सिंह	उप महाप्रबन्धक/प्राचार्य	सदस्य
4	आर०एन० सिंह	सहायक महाप्रबन्धक (संख्या)	सदस्य
5	संजय पाण्डेय	वरिष्ठ प्रबन्धक (स्थापना)	सदस्य
6	अनुराग मिश्र/लालता प्रसाद	प्रबन्धक (स्थापना)	संयोजक

उक्तानुसार गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह समस्त प्रकार के अवकाश(आकस्मिक अवकाश छोड़कर), निलम्बन, अनुशासनिक/कठोर कार्यवाही एवं अन्य शिकायती प्रकरणों प्राप्त जाँच आख्या का विधिवत् परीक्षण एवं कमेटी द्वारा लिये गये सामूहिक मन्तव्य को पत्रावली पर अंकित करते हुये अधोहस्ताक्षरी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

  
(अन्द्रा वामसी)आई.ए.एस.  
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

आदेशांक- 1954 / स्थापना / 2019-20

दि० 19-10-19

प्रतिलिपि:-निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०/प्रशिक्षणकेन्द्र लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आकस्मिक अवकाश अपने स्तर से स्वीकृत करेंगे।
2. समस्त कर्मचारी/अधिकारी, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र०का०/प्रशिक्षणकेन्द्र लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
4. प्रबन्धक(आई.टी.सेल.) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्र०का० लखनऊ को बैंक की वेबसाइट/ई.मेल. पर अपलोड करने हेतु।

  
प्रबन्ध निदेशक